न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/253

चतुरभुज आत्मज हरनाथ जी जाति मीना निवासी ग्राम दलेलपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. जोधराज आत्मज सुल्तान जाति मीना निवासी ग्राम दलेलपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रहलाद मीना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद इन्द्राज दुरूस्ती, राजस्व नक्शे में तरमीम करने गलत तरमीम को निरस्त करने व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दलेलपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी की जमबन्दी संख्या 17 की आराजी खसरा नम्बर 474/109 रकबा 05 बीघा व खसरा संख्या 475/109 रकबा 05 बीघा कुल 02 किता की 10 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि का मूल खसरा नम्बर 109 था जिसका कुल रकबा 71 बीघा 17 बिस्वा था । उक्त खसरा नम्बर में से दिनांक 22.11.1975 को 05 बीघा भूमि मसरया आत्मज कल्ला जाति मीणा निवासी ग्राम दलेलपुरा तहसील नैनवा को आंवटित हुई थी तथा मांग्या आत्मज कल्ला जाति मीणा को भी 05 बीघा भूमि दिनांक 22.11.1975 को आवंटित हुई थी । दिनांक 23.11.1975 को उक्त मसरया व मांग्या को भूमि पर दखल भी दे दिया था । मसरया को आवंटित भूमि के 109/1 तथा मांग्या को 109/2 नम्बर दिया गया जिनका राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो चुका था । सन् 1982 में दो पृथक–पृथक रजिस्टर्ड बेचानों के जरिये वादी ने

तत्कालीन खातेदारान मसरया व मांग्या से उक्त भूमि क्रय कर सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर कब्जा संभाल लिया था । तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का खातेदार के रूप में इन्द्राज हो गया तब से वादी उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में 10 बीघा जो सबसे पहले आवंटित है उसकी राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करवाये तथा प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में की गई अवैध तरमीम को निरस्त करवाये तथा आराजी खसरा नम्बर 109 के पूर्वी की ओर की सम्पूर्ण 10 बीघा भूमि की तरमीम करवाये ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी की क्रयशुदा आराजी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 474/109 रकबा 05 बीघा व 475 /109 का जमबान्दी के अनुसार खसरा संख्या 109 में पूर्वी दिशा में सम्पूर्ण 10 बीघा भमि की राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में की गई अवैध तरमीम को निरस्त किया जाकर तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर विधिवत राजीनामा पेश किया गया हो परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बाबत् जवाब काउन्टर क्लेम में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य कोई विधिक राजीनामा नहीं हुआ है और इसी दिन दावा खारिज किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । उन्होंने बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 71 बीघा 17 बिस्वा में से मसरिया आत्मज कला मीणा को दिनांक 22.11.1975 को 05 बीघा व मांग्लया आत्मज कल्या मीणा को 05 बीघा आराजी दिनांक 22.11.1975 को आवंटन की । बाद आवंटन आवंटी को कब्जा दिया गया और नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है । रेस्पोडेन्ट जोधराज को दिनांक 26.06.1976 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 109 में से 10 बीघा भूमि आवंटन कर कब्जा प्रदान किया जिस पर रेस्पोडेन्ट बहैसियत काबिज काश्त है । अपीलान्ट द्वारा मसरिया व मांग्या से वर्ष 1992 में उक्त आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय करना वर्णित किया

है । परन्तु पत्रावली में कोई विक्रय पत्र उपलब्ध नहीं है न ही अपीलान्ट ने कब्जा प्राप्त किया है जबकि रेस्पोडेन्ट वर्ष 1976 से आवंटित आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । लोक अदालत के निर्णय को अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती । अपीलान्ट का मुख्य विवाद नक्शे में तरमीम से है जिससे रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है । नक्शे में तरमीम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं की जा सकती । रेस्पोडेन्ट की आराजी की नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रही है । इसी के आधार पर रेस्पोडेन्ट काबिज है । रेस्पोडेन्ट के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों को भी आराजी आवंटित हुई है जिनको पक्षकार नहीं बनाया है । रेस्पोडेन्ट आज भी आराजी पर पैमाईश करवाने को तैयार हैं । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आर.आर.टी. 2016–17 पेज 714 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब उल जवाब में लम्बित थी और उसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई विधिवत राजीनामा पेश किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दावा खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निर्णय किया जाता है जिसमें पक्षकारान द्वारा विधिक रूप से राजीनामा पेश किया गया हो परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था जिसके अभाव में उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

10. रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्धरत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि इस नजीर में लोक अदालत के निर्णय से आशय ऐसे निर्णय से है जो लोक अदालत में लोक अदालत के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया हो । यदि लोक अदालत ने विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया जाता है तो उसकी अपील मेन्टेनेबल है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा